2017/00432

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री श्रीराम भादू पुत्र श्री कानाराम भादू निवासी ग्राम टेऊ पोस्ट सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 244/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.17	**: निर्णय :** 1. पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 22.08.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब पत्रांक 1668 दिनांक 17.10.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आज दिनांक तक कोई आवेदन–पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन–पत्र के संदर्भ में डाक प्राप्ति शाखा से रिपोर्ट ली गई। डाक प्राप्ति शाखा की रिपोर्ट के अनुसार श्रीराम भादू द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22.8.17 कम्प्यूटर में दर्ज होना नहीं पाया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित किये गये प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन–पत्र जब लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, बीकानेर को प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रेषित की जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझते है। 5. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 21.11.17 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर	